The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-3, October 2022
www.theresearchdialogue.com

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020: संभावनाएं एवं चुनौतियां"

निशान्त कुमार पाण्डेय
(सहायक आचार्य)
एचएनबी पीजी कॉलेज, लालगंज, प्रतापगढ़

प्रो. शिव शरण शुक्ल
आचार्य ,शिक्षाशास्त्र विभाग
श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा

सारांश *–*

भारत में शिक्षा की अविच्छिन्न धारा सदियों से निरंतर प्रवाहमान है। वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी विस्तार, चतुर्मुख नवाचारों का प्रयोग एवं वैश्विक परिस्थितियों के परिपेक्ष्य ने नवीन शिक्षा नीति की आवश्यकता को जन्म दिया। इन्हीं अपेक्षाओं के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 अस्तित्व में आयी। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति पर आधारित यह शिक्षा नीति शाश्वत मूल्यों को नया आयाम देने की दृष्टि रखती है। यह शिक्षा नीति चार भागों में विभाजित है, जिसमें शिक्षा के विविध पक्षों को समाहित किया गया है। स्कूली शिक्षा की नवीन संरचना (5+3+3+4), क्लस्टर के माध्यम से संसाधनों का साझाकरण, अवधारणात्मक समझ एवं विश्लेषणात्मक क्षमता से युक्त पाठ्यक्रम, मातृभाषा में शिक्षा, कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा का आरम्भ, गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय नियामक संस्थाएं, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, अध्यापक शिक्षा में नवीन अभिकल्प, प्रौद्योगिकी का समुचित प्रयोग, उत्कृष्ट उच्च शिक्षा की संकल्पना, प्रौढ़ शिक्षा जैसी संस्तुतियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 का महत्वपूर्ण भाग हैं। बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास उच्च शिक्षा को और अधिक प्रासंगिक एवं उपयोगी बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम है। शिक्षा का पूर्णतः स्वदेशीकरण, शिक्षा पर जीडीपी का 6% व्यय एवं व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व देना, इस शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह नीति भारत को 'विश्व गुरु' के पद पर प्रतिस्थापित करने और नवयुवकों के सपनों को पंख देने की सामर्थ्य से युक्त है। इस नीति का धरातल पर क्रियान्वयन अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और यह भविष्य के गर्भ में है।

कीवर्ड *- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ईसीसीई, एसईडीजी*

प्राचीन काल से भारत में धर्म, दर्शन व अध्यात्म की अविच्छिन्न धारा प्रवाहित हो रही है। जिससे विश्व आलोकित होता रहा है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली विश्व की श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली थी। विदेशी आक्रमण और पराधीनता ने हमारी शिक्षा प्रणाली रूपी सरिता के प्रवाह को मंद कर दिया। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के उपरांत जब हम स्वतंत्र हुए तब पुनः हमने नियोजित ढंग से शैक्षिक स्थिति की समीक्षा करना प्रारम्भ कर दिया। मानव क्षमताओं का पूर्ण विकास, समरसतापूर्ण एवं न्याय संगत समाज की स्थापना तथा राष्ट्र के विकास को गति प्रदान करने का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं आर्थिक विकास की चाभी है। राष्ट्रीय एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं है। किसी राष्ट्र की संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करने वाली नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। विश्व की जटिल होती जा रही परिस्थितियों, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचारों के दृष्टिगत समय-समय पर शिक्षा नीतियों की समीक्षा करना समीचीन होता है। अगले कुछ वर्षों में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। ऐसे में भविष्य की चुनौतियों का सामना परंपरागत शिक्षा द्वारा कर पाना संभव नहीं है। अतः सुरक्षित भविष्य की आवश्यकता एवं परिवर्तनशील समाज की अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है।

समग्र रूप से संपूर्ण शिक्षा की स्थिति का आंकलन करने के लिए भारत सरकार ने कोठारी आयोग (1964-66) की नियुक्ति की। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 की घोषणा हुई। 1984 में युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के कार्यभार संभालने के पश्चात् चतुर्दिक परिवर्तनों के सापेक्ष नई शिक्षा नीति की आवश्यकता अनुभव की गई, फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का प्रादुर्भाव हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने 21वीं सदी के भारत के निर्माण हेतु नींव का कार्य किया। सूचना संचार प्रौद्योगिकी की अतिशय उन्नति, विज्ञान तकनीकी के समावेशन तथा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने हेतु पुनश्च 34 वर्षों पश्चात् नई शिक्षा नीति की जरूरत केंद्र में स्थापित भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा अनुभूत की गई। इन्हीं विचारों के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 अस्तित्व में आयी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 इक्कीसवीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शैक्षिक ढांचे का निर्माण करना है। यह नीति व्यक्ति में निहित सृजनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष बल देती है। यह नीति शिक्षा द्वारा छात्रों में साक्षरता व अंक ज्ञान के साथ-साथ तार्किक चिंतन, समस्या समाधान योग्यता के विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगी। इसमें भारत की सांस्कृतिक परंपरा, समृद्ध विरासत एवं स्थानीयता का पूरा ध्यान रखा गया है। इससे देश में समावेशन, समानता एवं सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि संभावित है। भारत में विविधता और बहुलता सर्वत्र व्याप्त है, यह नीति संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखने वाले उन नागरिकों का विकास करेगी जो विभिन्नता में एकता पर विश्वास करते हैं। यह समष्टि से व्यष्टि तक पहुंचकर प्रत्येक बच्चे की रूचि, रुझान, क्षमता एवं योग्यता के आधार पर शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान करेगी। यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय को जीडीपी का 6% तक ले जाएगी। इस नीति के मुख्य आधारभूत सिद्धांत अधोलिखित हैं-

- बालकों की वैयक्तिक भिन्नता को स्वीकृति देते हुए उनके लिए समुचित शैक्षिक सुविधाएं देना और उनके सर्वांगीण विकास पर जोर देना।

- साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर विशेष बल।
- विद्यार्थियों के रूचि के अनुसार पाठ्यक्रम चयन में लचीलापन।
- शैक्षणिक धाराओं के अलगाव को कम करना।
- रटन्त प्रणाली को हतोत्साहित करते हुए अवधारणात्मक बोध पर बल देना।
- बहुभाषावाद, पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र में विविधता एवं स्थानीयता को प्रोत्साहन।
- तकनीकी का यथासंभव उपयोग।
- प्रारंभिक शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक संबद्धता एवं जुड़ाव स्थापित करना।
- छात्र, शिक्षक एवं संकाय को शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में लाना
- शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि एवं शोध के स्तर का उन्नयन करना।

नवीन शैक्षिक संरचना - राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 में पूर्व प्रचलित 10+2 शैक्षिक ढांचे में परिवर्तन करके पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर नवीन शैक्षिक संरचना 5+3+3+4 की व्यवस्था की गयी है। इसमें 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। नई शैक्षिक संरचना चार भागों में विभाजित है, जिसमें फाउंडेशनल स्तर पर 5 वर्ष (3 वर्ष - आंगनबाड़ी/बालवाड़ी व 2 वर्ष - कक्षा 1,2), प्रिपरेटरी स्तर पर 3 वर्ष (कक्षा 3 से 5), मिडिल स्तर पर 3 वर्ष (कक्षा 6 से 8) व सेकेंडरी स्तर पर 4 वर्ष (कक्षा 9 से 12) शामिल है। 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) का मजबूत तंत्र विकसित किया जाएगा। ईसीसीई की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा में छात्रों के बोलने, पढ़ने, लिखने, अंकज्ञान एवं गणितीय चिंतन पर ध्यानाकर्षण होगा। प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 से कम रखा जाएगा। प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों में ड्रॉपआउट की समस्या न्यून करते हुए सभी विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। छात्रों में कौशलों के विकास हेतु छठी कक्षा से व्यवसायिक कोर्स एवं इंटर्नशिप कराई जाएगी।

पाठ्यक्रम - विद्यार्थियों पर परीक्षा के दबाव व रटन्त प्रणाली को समाप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम किया जाएगा। पाठ्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, खोज-आधारित प्रवृत्ति, विश्लेषणात्मक सोच, अवधारणात्मक समझ व समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। अनुभव आधारित प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त करने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए विषय चयन में पर्याप्त लचीलापन व अधिकाधिक विकल्प की व्यवस्था की जाएगी। कला, मानविकी, विज्ञान, व्यवसायिक व अकादमिक जैसी श्रेणियों को समाप्त करते हुए छात्रों की आयु व रूचि के अनुसार विषय सामग्री को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अधिक से अधिक विषयों तक छात्रों की पहुंच को सुनिश्चित बनाने हेतु शैक्षिक प्रणाली में वांछित बदलाव किया जाएगा।

बहुभाषावाद - मातृभाषा में विद्यार्थियों का सीखना तीव्र, सहज एवं सरल होता है। मातृभाषा में तथ्यों को समझना व हृदयगंम करना आसान होता है तथा इसके द्वारा छात्र अपने विचारों को अधिक स्पष्टता से अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं। इन्हीं अवधारणाओं के दृष्टिगत जहां तक संभव होगा कम से कम कक्षा 5 तक छात्रों को मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। यदि संभव हो तो कक्षा आठ और उससे आगे की शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा को बनाया जाएगा। इन भाषाओं में पुस्तकों/ शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अन्य भाषा की पुस्तकों का अनुवाद कराया जाएगा। कक्षा तीन और उससे आगे की कक्षाओं में मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को सीखने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय एकता एवं बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र लागू रखा जाएगा।

भारतीय शास्त्रीय भाषा एवं साहित्य के विपुल भंडार का महत्व अत्यधिक है। संस्कृत साहित्य में गणित, विज्ञान, व्याकरण, चिकित्सा, कविता, नाटक, कहानी आदि के विशाल भंडार हैं। भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य आदि को जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य है इसलिए संस्कृत को त्रिभाषा में मुख्य विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य शास्त्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली आदि को स्थानीयता के आधार पर छात्रों को अध्ययन के लिए विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। वैश्विक ज्ञान व विश्व संस्कृति के अध्ययन के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ अन्य विदेशी भाषाओं यथा कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, रूसी पुर्तगाली आदि माध्यमिक स्तर पर अध्ययन हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

व्यावसायिक कौशलों का विकास – प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा 6 से स्थानीय समुदाय द्वारा निर्धारित स्थानीय कुशलता आवश्यकताओं की मैपिंग द्वारा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें व्यावसायिक शिल्प, बढ़ईगीरी, विद्युत कार्य, धातु कर्म, बागवानी, मिट्टी के बर्तन का निर्माण, खिलौने निर्माण का कार्य आदि शामिल होंगे। इससे छात्रों को अध्ययन के साथ आनंद मिल सकेगा एवं भविष्य में रोजगार हेतु बुनियाद की रचना भी हो जाएगी।

मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन - संपूर्ण विद्यालयी शिक्षा के सुचारु संचालन व मानकों के निर्धारण हेतु शिक्षा नीति में दायित्व प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। अकादमिक कार्यों एवं नियामक दायित्वों हेतु अलग-अलग संस्थाओं का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने राज्यों के लिए नियामक संस्था के रूप में 'स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी' (एसएसएसए) का गठन करेंगे। अकादमिक गतिविधियों का संचालन 'स्कूल शिक्षा निदेशालय' द्वारा किया जाएगा। जो विकासखंड, जनपद एवं मंडल स्तर पर अन्य संस्थाओं से समन्वय बनाकर अकादमिक कार्यों का निष्पादन करेंगे। मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र 'परख' की स्थापना की जाएगी, जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे द्वारा समय-समय पर इसकी जांच करेगा।

समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा – सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित अन्य पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग व भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं निम्न आर्थिक वर्ग को समाहित करते हुए सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह (एसईडीजी) की संकल्पना इस शिक्षा नीति की अन्य विशिष्टता है। यह नीति उपर्युक्त वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता, साइकिल, टैबलेट, लैपटॉप

आदि द्वारा सहायता प्रदान करके उनकी शिक्षा के मार्ग में बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करेगी। इन संसाधनों के अतिरिक्त एसईडीजी छात्रों को शिक्षकों एवं विशेष सलाहकारों द्वारा परामर्श एवं निर्देशन उपलब्ध कराया जाएगा।

स्कूल कांप्लेक्स/ क्लस्टर के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता - कम भौतिक संसाधनों व न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 5-10 किलोमीटर की परिधि वाले आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्कूल एवं व्यवसायिक केंद्रों को एक माध्यमिक विद्यालय से संबद्ध करके स्कूल परिसर की स्थापना की जाएगी। शैक्षिक परिसर की परिकल्पना का विस्तार प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालयी शिक्षा तक किया जाएगा।

अध्यापक शिक्षा - किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। जहां शिल्पकार के रूप में शिक्षक की महती भूमिका होती है। यह नीति भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप एवं वैश्विक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक-शिक्षा की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन को अभीष्ट मानती है। योग्य एवं निष्ठावान शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय शिक्षा (कक्षा - 12) के उपरांत 4 वर्षीय बीएड् पाठ्यक्रम की संकल्पना की गई है। त्रिवर्षीय स्नातक उपरांत द्विवर्षीय बीएड् पाठ्यक्रम तथा चतुर्वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 1 वर्षीय बीएड् पाठ्यक्रम का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष - 2030 तक बदलावों के साथ अध्यापक शिक्षा में वांछित परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया है।

प्रौद्योगिकी का पूर्ण समर्थन – 21वीं सदी में ऑनलाइन एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म रहित शिक्षा की कल्पना करना बेइमानी है। प्रौद्योगिकी के विकास ने सीखने के नए-नए आयाम विकसित किये है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों यथा शिक्षण मशीन, कृत्रिम बुद्धि (आर्टीर्फिशियल इंटेलिजेंस), ब्लॉक चेन, स्मार्ट बोर्ड आदि को छात्रों के हित में उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करती है। छात्रों को सहजता, सरलता, व्यक्तिगतता के आधार पर विभिन्न भाषाओं में शिक्षण अधिगम सामग्री 24×7 उपलब्ध कराने हेतु प्रौद्योगिकी का सहयोग एवं समर्थन आवश्यक है। सूचना के विस्फोट व नित-नवीन तकनीक एवं ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देने हेतु हमें प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहना होगा। सतत एवं सार्वभौमिक शिक्षा की अवधारणा बिना प्रौद्योगिकी के पूर्ण नहीं हो सकती है।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा - प्रचलित उच्च शिक्षा नौकरी एवं शोध उपाधि प्राप्त करने का माध्यम मात्र है। यह शिक्षा नीति भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण से निर्मित है, जिसमें विद्यार्थी को कार्य कुशल बनाकर उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य निहित है। इसमें शोध संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक बनाकर विद्यार्थी को उसकी रूचि के अनुसार मानविकी/ विज्ञान/ समाज विज्ञान/ भाषा आदि से विषयों का चयन करने की छूट प्रदान करना इस नीति की अन्य विशेषता है। भावी स्नातक पाठ्यक्रम में यदि कोई विद्यार्थी 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष पढ़ाई करता है तो उसे क्रमश: सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री मिलेगी। चतुर्वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम वाले छात्रों के लिए परास्नातक पाठ्यक्रम 1 वर्ष का होगा। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को यथोचित लागत पर उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने वाले स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उच्च शिक्षा सभी को उपलब्ध कराने हेतु समता एवं समावेशन की नीति का पालन किया जाएगा।

प्रौढ़ शिक्षा – देश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा हेतु शुदृढ़ एवं नवाचारी तंत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें सरकारी योजनाओं के साथ समुदाय को भागीदार बनाया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या का विकास एनसीईआरटी

द्वारा किया जाएगा। पाठ्यचर्या में साक्षरता, सामान्य आंकिक योग्यता एवं व्यवसायिक कौशलों पर विशेष बल दिया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए स्कूल, स्कूल परिसर, सार्वजनिक पुस्तकालयों व आईसीटी से सुसज्जित अन्य सार्वजनिक भवनों का उपयोग किया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों में यथासंभव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन कोर्स, टीवी प्रोग्राम, ऐप, ऑनलाइन पुस्तकों आदि द्वारा प्रौढ़ों को सुविधानुसार पठन-सामग्री की उपलब्धता करवायी जाएगी।

कोठारी आयोग (1964-66) ने शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% व्यय करने की संस्तुति की थी, जिसकी पुनर्पुष्टि राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 में की गई है किंतु आज तक हमारी सरकारों की उदासीनता एवं इच्छाशक्ति में कमी वांछित लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक रही है। भविष्य में किस प्रकार सार्वजनिक शिक्षा में जीडीपी का 6% व्यय किया जाएगा, इस संबंध में स्पष्ट नीति व विजन का अभाव इस शिक्षा नीति में दिखता है।

नवीन शैक्षिक संरचना 5+3+3+4 में प्रथम 5 वर्ष की शिक्षा में शुरुआती 3 वर्ष की शिक्षा का उत्तरदायित्व ईसीसीई के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दिया गया है। सामान्यतः इन कार्यकत्रियों की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होती है और इन्हें किसी भी प्रकार के बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होता है। शिक्षक प्रशिक्षण ऑफलाइन मोड के अंतर्गत वास्तविक परिस्थितियों में संचालित किया जाता है। इन्हें 6 माह/ 1 वर्ष का प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड में देने की बात शिक्षा नीति में की गई है। इस प्रशिक्षण द्वारा शिक्षक शिक्षा के सिद्धांतों एवं शिक्षण व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान दे पाना एक दुष्कर कार्य है।

यह शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 से कम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्र गणना विद्यालयवार होती है, जबकि छात्र कक्षावार अध्ययन करते हैं। अतएव छात्र शिक्षक अनुपात के संबंध में यह नीति अस्पष्ट व भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति में स्थानीय भाषा के विज्ञ व्यक्तियों को वरीयता देने की संस्तुति की गई है किंतु इस प्रकार की नियुक्ति के संबंध में अब तक किसी तंत्र का निर्माण नहीं हो पाया है। भविष्य में स्थानीय भाषा की दक्षता की जांच किस प्रकार होगी यह बड़ा प्रश्न होगा।

माध्यमिक/ उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की रुचियों के अनुसार विषयों का चयन अलग संकायों/ वर्गों से करने की छूट दी गई है। किंतु ग्रामीण एवं कस्बों में अधिकांश माध्यमिक विद्यालय/ महाविद्यालय एकल संकाय वाले हैं। इन्हें बहुविषयक संस्थानों में किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा? आवश्यक भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की आपूर्ति का माध्यम क्या होगा? इन प्रश्नों पर यह शिक्षा नीति अनुत्तरित है। अनुभव आधारित प्रयोगात्मक ज्ञान देने के लिए ढांचागत सुविधाओं की नितांत आवश्यकता होती है, भारत जैसे विशाल, विविधता एवं वैषम्य परिस्थितियों वाले राष्ट्र में इन सुविधाओं को किस प्रकार पूरे देश में वितरित किया जाएगा, इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में है।

त्रिभाषा सूत्र राधाकृष्णन् आयोग की रिपोर्ट से अस्तित्व में आया और प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में इसको आधिकारिक रूप से स्वीकृति मिली किंतु अब तक पूरे देश में इसे जितनी स्वीकार्यता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल सकी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 में पुनः बहुभाषावाद एवं राष्ट्रीय एकता में वृद्धि के लिए त्रिभाषा सूत्र को अपनाने का विचार दिया गया है, जबकि दक्षिण भारत में इसका पर्याप्त विरोध है। तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह राजनीतिक मुद्दा है। हिंदी भाषी राज्यों में भी दक्षिण भारत की भाषाओं के प्रति कोई आकर्षण देखने को नहीं मिलता। स्थानीय भाषाओं में शब्दकोश का अभाव व स्तरीय पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता स्थानीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने में बड़ा अवरोध है।

वर्तमान परिस्थितियों एवं अंग्रेजी के आकर्षण में देशी भाषाओं के अस्तित्व को बचाना एक गंभीर चुनौती है। स्थानीय भाषाओं के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 की अनुशंसाओं को कितना क्रियान्वित किया जाएगा, इसके लिए प्रतीक्षा करना शेष है।

व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए विद्यालय में इन विधाओं से निपुण व्यक्तियों एवं ढांचागत सुविधाओं का अभाव है। अभिभावकों को उच्च प्राथमिक कक्षाओं से व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मानसिक रूप से तैयार करना कठिन कार्य है। मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन क्षेत्र में जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारीगण अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से नहीं करते हैं, केवल कागजी कार्यवाही सम्पादित की जाती है। यह शिक्षा नीति ऐसे तंत्र को विकसित करने का सुझाव देती है जो भविष्य में शैक्षिक गुणवत्ता की वास्तविक वृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य करेगी। मानवगत कमियों से किस प्रकार नियम/विनियमों को संरक्षित किया जाएगा, यह यक्ष प्रश्न है।

वर्तमान मैं देश की राजनीति जाति/ धर्म के ध्रुवीकरण की ओर उन्मुख है, ऐसे में यह शिक्षा नीति किस प्रकार समतामूलक व समावेशी शिक्षा द्वारा समरसतापूर्ण समाज का निर्माण करेगी? स्कूल क्लस्टर/ कांप्लेक्स निर्माण सैद्धांतिक दृष्टि से संसाधनों के बंटवारे का अच्छा उपक्रम है किंतु इस संबंध में बिना विस्तृत रूपरेखा व स्पष्ट निर्देश के इसके सफल होने में संदेह को दर्शाते हैं।

प्रौद्योगिकी के बिना आज मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यक्तिगत रूप से छात्रों को सीखने में मदद करने और शिक्षा के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेना अपरिहार्य है। एक ओर जहां शहरों में अच्छे क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास आदि की सुविधाएं हैं, वहीं कस्बे/ ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश विद्यालय अभी भी परंपरागत कक्षाओं द्वारा पठन-पाठन कर रहे हैं। विद्युत आपूर्ति में कमी, नेटवर्क की अनुपलब्धता, भौतिक संसाधनों का अभाव, तकनीकी रूप से कुशल शिक्षकों की कमी किस प्रकार दूर होगी, यह विचारणीय है। इन समस्याओं के निराकरण के बिना पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का उपयोग संभव नहीं हो पाएगा।

यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 का विहगांवलोकन करें तो यह पाते हैं कि यह नीति सैद्धांतिक दृष्टि से भारत की वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह भारतीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं, समृद्ध विरासत, स्थानीय ज्ञान आदि को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है। इसके क्रियान्वयन से भारत के युवाओं के सपनों को पंख मिल सकेगा। यह नए विश्व के साथ तालमेल बैठाने में भारतीयों को सक्षम बनाएगी। इस नीति का व्यावहारिक क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण है, यदि हम और हमारी केंद्र/ राज्य सरकारें इनका समाधान प्रस्तुत कर सकें तो जिन उद्देश्यों के साथ नई शिक्षा नीति बनी है उसके पूर्ण होने में संदेह नहीं है।

सन्दर्भ सूची –

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (29 जुलाई, 2020)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 : एक सिंहावलोकन (विशेषांक), महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
- सिंह, अविनाश कुमार (2022), राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 (आलेख), योजना, वर्ष - 66, अंक - 2 फरवरी, पृष्ठ (7 – 10)
- पाण्डेय, डॉ रामशकल (2017), भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

- यादव, संतोष (2022), युवाओं का कौशल विकास (आलेख) ,योजना अंक – 2, फरवरी, पृष्ठ (19-22)
- शर्मा, प्रेमपाल (2022), नई शिक्षा नीति और भारतीय भाषाएं(आलेख), योजना, अंक – 2, फरवरी, पृष्ठ- (53-55)
- गर्ग, मनीष (2022), सभी के लिए उत्तम शिक्षा (आलेख), योजना, अंक – 2, फरवरी, पृष्ठ (23-28)
- https://www.drishtiias.com, नई शिक्षा नीति - 2020

THE RESEARCH DIALOGUE
Manifestation Of Perfection

THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-3, *October* 2022
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number-Oct-2022/19

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

निशान्त कुमार पाण्डेय एवं प्रो. शिव शरण शुक्ल

For publication of research paper title

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020: संभावनाएं एवं चुनौतियां"

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-01, Issue-03, Month October, Year- 2022.

Dr.Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr.Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com